162

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–सीधी

रिव्यू 3878-I/12

(1) विष्णुप्रसाद पुत्र सुतीक्षण प्रसाद, निवासी– कुंआ तहसील रामपुर नैकिन जिला–सीधी (म.प्र.)

(2) मनरजुआ पुत्र उदित नारायण, निवासी– भितरी, तहसील रामपुर नैकिन जिला–सीधी (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

(1) रामानन्द पाण्डेय पुत्र अनुरूद्ध प्रसाद पाण्डेय, निवासी– ग्राम कटेरी, तहसील सिरमोर, जिला–रीवा (म.प्र.)

(2) रविशंकर शुक्ला पुत्र रामनरेश, निवासी– ग्राम झगरी हाल मुकाम सीधी (म.प्र.) वर्तमान पटवारी हल्का बम्हनी तहसील गोपदवनास जिला–सीधी

...... अनावेदकगण

द्वारा आज दि. 9.11.12 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1281-III/2011 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.10.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदकगण द्वारा ग्राम भितरी में स्थित भूमि आराजी क्रमांक 3049/1 रकवा 1.436, 3063/1 रकवा 0.150 एकड़ के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी अनुरूद्ध पिता रामाचार्य राम थे, जो कि विगत 15–20 वर्षों से लापता हो गये हैं। तत्पश्चात् उपरोक्त भूमि के भूमि स्वामी उनका पुत्र रामानन्द पाण्डेय हो गया था तथा रामानन्द पाण्डेय द्वारा विवादित भूमि का विक्रय आवेदकगण विष्णुप्रसाद पुत्र सुतीक्षण प्रसाद को रकवा 2/3 एवं मनरजुआ पुत्र उदितनारायण राम को रकवा 1/3 का किया गया था। अतः उक्त विक्रय टीप के आधार पर आवेदकगण द्वारा विवादित भूमि पर नामान्तरण कराये जाने बाबत आवेदन–पत्र कार्यालय ग्राम पंचायत भितरी को प्रस्तुत किया था। ग्राम पंचायत भितरी द्वारा प्रकरण में विधिवत ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3878–एक/12 जिला –सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२६.8.16	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1281–तीन/2011 आदेश दिनांक 22.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3878–एक/2012 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 3878–एक/2012 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 22.10.2012 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 3878–एक/2012 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य